

66

12

मानक शर्तें:

- भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उत्तरांक वैधानिक रथल में कोई नियंत्रण नहीं होगा और वह भी पूर्ति की भाँति रक्षित या आँखित बन भूमि बनी रहेगी।
- प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कठित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य पर्यावरण हेतु कठित नहीं।
- याचक विभाग प्रस्तावित भूमि उच्चांश के उत्तरान्तरित नहीं करेगा।
- भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाया है कि गंभीर महीने गुण न्यूनतम हैं तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
- हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी अधिकारी अध्यात्म ठेकेदार वन भूमि को किसी भौतिकी की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने गर सम्बन्धित वनाधि दर्जी द्वारा नियंत्रित की गुआवजे के भुगतान उत्तरांश के उपलब्ध विभाग को करना होगा, जिसके यायक नियंत्रण राहगत है।
- भूमि का सीमांकन याचक विभाग आने वाय से सम्बन्धित वनाधिकारी को नियंत्रण में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये गुनाएँ आदि की भी देखभाल करेगा।
- हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को नियंत्रण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगा।
- बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर जल क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्बन्ध प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिलियर करणा रो ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के रखन्द विदरण की व्यवस्था सुनिश्चित रखने के बाद ही भूमि हस्तान्तरण की जायेगी।
- सिंचाई विभाग/जल नियंत्रण द्वारा वन विभाग ने तुररारियों पौधों के एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अपना विभाग सम्मान या व्यक्ति विशेष हस्तान्तरित करने पर वन भूमि रखत विना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने वाली भी हस्तान्तरित भूमि तथा जल पर नियंत्रित भवन आदि स्वतः विना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी।
- सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनगेट तान हीन समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सांगित्रिय द्वारा प्राप्त विभाग जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अधिकारी सांगित्रिय के आदेशका मुख्य अधिकारी, फॉर्मो भेज पौड़ी को सम्बोधित गत रखना दें। सांगित्रिय के आदेशों का पालन भी सांगित्रिय द्वारा किया जायेगा कि अश्वमर्श बोलता अथवा वन नार्गों को फेर बदल कर पवनता करने वाचक विभाग के खर्च से प्रयोग न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
- वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित विलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पर के आधार पर अंकितिहोना जो याचक विभाग की मान्य होगा।
- वन भूमि पर खड़े बृक्षों का नियन्त्रण वन विभाग उपलब्ध वन विभाग वस्त्रा और कठित उपयोग विक्रिया जो वन विभाग उपयोग वस्त्रा द्वारा किया जायेगा। अदि किसी वायाप से बृक्षों का नियन्त्रण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन सांगित्रिय हो तो याचक विभाग द्वारा बृक्षों का जाजार भाव पर गुला देय होगा।
- हस्तान्तरित भूमि पर पड़ों वाले बृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा नियन्त्रित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य और वानिसी भूमि रखने के बाने पर प्रस्तावित भूमि के दुगों गैर वानिसी द्वारा भूमि में वृक्षारोपण तथा उनके परिपौष्ट व्यय जो भी वन विभाग द्वारा उपयोग किया जाय का भुगतान गत वाचक विभाग के विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 लिंगी ये अधिक ढाल पर लहौं बृक्षों को भुगतान भी निषिद्ध है, इसी प्रकार वाज के घेड़ी पर पालन भी वर्जित है। ऐसे बृक्षों के पालन वपन विभाग का संरक्षक स्तर पर ही होगा।

८२

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्बव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी गेहू़ा का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो चूनाम पेड़ों की सख्त संयुक्त रेखल निश्चित करके सम्बन्धित उप वन रांगक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर रंगकाण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग बनाए अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अधबा बन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो याचक विभाग को मान दोगी।
18. वन भूमि का चारताविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अधबा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य हैं।

[Signature] -
व्यायक अध्यक्ष
ए. खड़े लो.नि.वि.
पत्युड (टिंड०)

[Signature] -
व्यायक अध्यक्ष
ए. खड़े लो.नि.वि.
पत्युड (टिंड०)